न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 14/2021

अपीलांट्स – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स –

1. चतरसिंह पुत्र प्रेमसिंह
2. थानसिंह पुत्र प्रेमसिंह
3. समदकंवर पत्नी प्रेमसिंह
   जाति राजपूत निवासी
   जालीपा तहसील व जिला
   बाड़मेर

<u>*बनाम*</u>

रेस्पोडेंट्स –

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सुरतानसिंह
2. छैलसिंह पुत्र सुरतानसिंह
3. छुगसिंह पुत्र सुरतानसिंह
4. पृथ्वीसिंह पुत्र सुरतानसिंह
5. सरूपसिंह पुत्र कंवराजसिंह
6. अच्छतकवर पत्नी कंवराजसिंह
7. पदमसिंह पुत्र नवलसिंह
8. खुमानसिंह पुत्र नवलसिंह
9. शेलेन्द्रसिंह पुत्र दौलतसिंह
10. हरीसिंह पुत्र दौलतसिंह
11. भीखकंवर पत्नी दौलतसिंह
    जाति राजपूत निवासी जालीपा
    तहसील बाड़मेर
12. अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल
13. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
    ओसवाल (छाजेड)
    जाति ओसवाल निवासी बोम्बे,
    महाराष्ट्र
14. भवानीसिंह पुत्र बालसिंह जाति
    राजपूत निवासी भाडखा तहसील
    बाड़मेर
15. दरियाकंवर पत्नी गुमानसिंह जाति
    राजपूत निवासी लक्ष्मी नगर
    बाड़मेर
16. [illegible] धुधवाल पुत्र सताराम
    [illegible] भाडखा तहसील बाड़मेर
17. [illegible]नीसिंह पुत्र उम्मेद[illegible] जाति
    [illegible]जपूत निवासी लखा [illegible]ल
    फतेहगढ जिला जैसलमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:12:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

18. बन्नाराम चौधरी पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मदरूपाणियों की ढाणी, पनावडा
19. रणजीताराम पुत्र अमराराम
20. आम्बाराम पुत्र गोरधनराम
21. दुरजनराम पुत्र गोरधनराम
22. निम्बाराम पुत्र गोरधनराम
23. बंशीलाल पुत्र गोरधनराम
24. चिमाराम पुत्र अमराराम जाति प्रजापत निवासी विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर
25. खरथाराम पुत्र उदाराम
26. बाबूलाल पुत्र तुलसाराम जाति जाट निवासी जालीपा तहसील बाड़मेर
27. पार्वती चौधरी पत्नी मूलाराम चौधरी जाति जाट निवासी नांद तहसील बाड़मेर
28. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सुखसिंह
29. दीपसिंह पुत्र पुरखसिंह
30. सोहनसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत साकिन बाड़मेर मगरा
31. गेमराराम पुत्र आम्बाराम
32. अर्जुनराम पुत्र तगाराम जाति प्रजापत निवासी बोथिया जागीर तहसील बाड़मेर
33. नेमाराम पुत्र अमराराम जाति प्रजापत निवासी भादरेस तहसील [illegible]
34. [illegible]देवी पुत्री अमराराम पत्नी [illegible] जाति प्रजापत निवासी [illegible]हीबाग, अहमदाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:12:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

35. दुर्गाराम पुत्र वीराराम जाति प्रजापत निवासी ईश्वरपुरा, भादरेस
36. भेराराम पुत्र पूंजाराम जाति जाट निवासी जालीपा तहसील बाड़मेर
37. प्रियंका अग्रवाल पत्नी दीपक अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी गुरूद्वारा रोड बाड़मेर
38. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2007 जो अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री बलराम प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 19 से 24, 31 से 33 व 35 की ओर से उपस्थित।
3. श्री इकबाल खान, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 17 की ओर से उपस्थित।
4. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेंट संख्या 38 प्रफॉर्मा पक्षकार।
6. शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.03.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 27.01.2007 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम जालिपा के खेत खसरा नंबर 126, 148, 149, 152, 204/155 व 157 कुल रकबा 359–15 बीघा के खातेदारान सुल्तानसिंह वल्द रायसिंह 1/4 प्रेमसिंह वल्द समेलसिंह 1/4 पदमसिंह छैलसिंह खुमानसिंह पि0 नवलसिंह श्रीमती समन्दकंवर धर्मपत्नी स्व0

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:12:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

श्री नवलसिंह 1/2 कौम राजपूत सा0 देह ने दिनांक 27.01.2007 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2007 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.03.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विधि तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलाधीन भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के पिता ने हलका पटवारी से मिलीभगत कर सड़क मार्ग अपने हिस्से में रखा और अपीलांट्स को अनुपयोगी व बंजर भूमि बंट में करवा दिया। अपीलांट का पिता व पति एक अनपढ़ एवं निरक्षक व्यक्ति होने के कारण उसे उक्त मिलीभगत की जानकारी नहीं हुई और हलका पटवारी ने रेस्पोडेंट्स के साथ मिलकर पक्षकारों के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा मुर्तिब कर लिया जिससे अपीलाधीन बंटवाड़ा प्रारम्भ से ही दूषित, एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किया जाने योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट के पिता व पति प्रेमसिंह के फौत होने तक उनको गलत विभाजन की जानकारी नहीं हुई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 12 व 13 द्वारा वर्तमान में अपीलांट्स के कब्जा–काश्त में हस्तक्षेप किया जाने लगा तथा सड़क मार्ग पर स्वयं काबिज होने का प्रयास किया जाने लगा। इस पर अपीलांट्स को अपने हक–हकुक संशयप्रद लगे जिस पर उन्होंने अपीलाधीन विभाजन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। [illegible] अपीलाधीन विभाजन पर पारित क्रमतर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 05.03.2021 को प्राप्त की तब ही उन्हें सर्वप्रथम रेस्पोडेंट्स द्वारा करवाये गये गलत विभाजन की जानकारी हुई। इस पर सम्यक तत्परता के साथ सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:12:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है फिर भी अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं।

6. रेस्पोडेंट्स सं. 19 से 24, 31 से 33 व 35 की ओर से, रेस्पोडेंट संख्या 17 की ओर से एवं रेस्पोडेंट संख्या 12 की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध लगभग 14 वर्ष की लम्बी समयावधि के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है जो मयाद बाहर है। अपीलांट्स द्वारा मयाद के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रकट नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड में विभाजित हिस्सा एवं तरमीमशुदा नक्शा अनुसार भूमि क्रय कर काबिज हैं। मौका कब्जा एवं हिस्सा के संबंध में अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्य आधारहीन हैं। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील मयाद के साथ–साथ मैरिट पर भी दुर्बल होने से खारिज योग्य है।

7. हमने अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा जालिपा के खेत खसरा नंबर 126, 148, 149, 152, 244/155 व 157 कुल रकबा 359–15 बीघा के खातेदारान सुल्तानसिंह वल्द रायसिंह 1/4 प्रेमसिंह वल्द समेलसिंह 1/4 पदमसिंह छैलसिंह खुमानसिंह पि0 नवलसिंह श्रीमती समन्दकंवर धर्मपत्नी स्व0 श्री नवलसिंह 1/2 कौम राजपूत सा0 देह ने दिनांक 27.01.2007 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2007 पारित किया गया। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के पिता ने हलका पटवारी से मिलीभगत कर सड़क मार्ग अपने हिस्से में रखा और अपीलांट्स को अनुपयोगी व बंजर [illegible] अपीलांट का पिता व पति एक अनपढ़ एवं निरक्षक व्यक्ति होने [illegible] उसे उक्त मिलीभगत की जानकारी नहीं हुई और [illegible] साथ मिलकर पक्षकारों के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा मुतिब कर लिया जिससे अपीलाधीन बंटवाड़ा प्रारम्भ से ही दूषित है। इसके विपरीत अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स का कथन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:12:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध लगभग 14 वर्ष की लम्बी समयावधि के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है जो मयाद बाहर है। अपीलांट्स द्वारा मयाद के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रकट नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड में विभाजित हिस्सा एवं तरमीमशुदा नक्शा अनुसार भूमि क्रय कर काबिज हैं। मौका कब्जा एवं हिस्सा के संबंध में अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्य आधारहीन हैं। इस प्रकार जब अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट्स के पिता/पति द्वारा सहमति की गई है तो इसकी जानकारी उन्हें तत्समय नहीं होने का कथन अपीलांट्स की ओर से किया जा रहा है जो मयाद के परिप्रेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश 14 वर्ष पूर्व पारित किया गया है तथा इसके विरूद्ध हस्तगत अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण नहीं दर्शाया है। इस प्रकार अपीलांट्स की यह अपील मयाद बाधित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

9. निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Low

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:12:59 IST
Reason: SelfAttested